न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/157

मदन सिंह आयु 61 वर्ष आत्मज श्री भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी खैरूणा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।
2. तहसीलदार नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 22.07.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.1999 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने आदेश क्रमांक 33 दिनांक 25.05.1999 से राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिये अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासी राजकीय कृषि भूमि आवंटन) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम खैरूणा की आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 193 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा में से 09 बिस्वा कुल 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम खैरूणा में पटवार घर निर्माण हेतु *निःशुल्क आवंटन* करने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.1999 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध एवं गैर कानूनी रूप से क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त भूमि का आवंटन पटवार घर के लिए किया है । उक्त भूमि पर स्टेट के समय से ही अपीलान्ट के पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी अपीलान्ट काबिज काश्त हैं । उक्त भूमि अन ऑक्यूपाईड लैण्ड नहीं थी । इस कारण आवंटन योग्य नहीं थी । राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के नियम 2 (ड) के अनुसार गिरदावर/पटवार घर के लिये अधिकत क्षेत्र 0.5 एकड भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नियम की अवहेलना करते हुए अवैध एवं गैर कानूनी रूप से 0.6 एकड के बराबर भूमि का आवंटन किया है जो आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1999 निरस्त फरमाया जावे ।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट काफी समय से काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । अपीलान्ट व्यथित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें ।

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपीलाधीन निर्णय से अपने हित प्रभावित होने का कथन किया है और प्रस्तुत प्रकरण में अपने आपको हितबद्ध पक्षकार होना बताया है । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.01.2018 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से वादग्रस्त आराजी पटवार घर के लिए आवंटन की थी । महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया है कि खसरा नम्बर 191 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा पर अपीलान्ट का पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है । वर्तमान में आराजी आवंटन योग्य नहीं थी । इसके बावजूद मौके की जॉच किये बिना आवंटन किया गया है । राजस्थान भू–राजस्व के आवंटन नियमों के अनुसार पटवार मण्डल के लिए 0.5 एडक

भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने 0.6 एकड के बराबर आराजी का आवंटन किया है । आवंटित आराजी पर पटवार घर का निर्माण नहीं हुआ है इस प्रकार आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट के कब्जे की आराजी का आवंटन किया है । अपीलान्ट उक्त भूमि के आवंटन/नियमन की पूर्ण योग्यता रखता है । अपीलान्ट ने काफी मेहनत करके तथा काफी रकम विनियोजित कर उक्त भूमि को समतल बनाया है । अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जॉच किये बिना ही उक्त आवंटन किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.1999 निरस्त फरमया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक भूमि है जिसका विधि सम्मत रूप से जिला कलक्टर, बून्दी ने ग्राम खैरूणा में पटवार घर के लिए आवंटन किया गया है । अपीलान्ट अतिक्रमी है जिसे आवंटन को चैलेंज करने का अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1999 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायाहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा अपीलाधीन आदेश से ग्राम खैरूणा तहसील नैनवा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 193 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा में से 09 बिस्वा कुल 01 बीघा 10 बिस्वा आराजी पटवार घर के लिए आवंटित की है । आवंटित आराजी सरकारी सिवायचक आराजी है । अपीलान्ट ने इस भूमि पर अपना अतिक्रमण बताते हुए आवंटन को चैलेंज किया है जबकि अतिक्रमी को आवंटन आदेश को चैलेंज करने का कोई लोकस–स्टेण्डाई नहीं होता है । अतिक्रमित आराजी को आवंटन के लिए आवंटन योग्य भूमि माना जाता है । जहॉ तक आवंटन के लिए पटवार घर का निर्माण समय से नहीं होने एवं 0.5 एकड के स्थान पर 0.6 एकड आराजी के आवंटन होने का प्रश्न है, इस बाबत् आपत्ति करने का अधिकार अपीलान्ट को नहीं है क्योंकि उक्त भूमि सिवायचक भूमि है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1999 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा